क.रा.बी.नि.
E.S.I.C.

कर्मचारी राज्य बीमा निगम
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)

सत्यमेव जयते

क्षेत्रीय कार्यालय-बिहार, पंचदीप भवन,
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, पटना-800001
Tel: 0612-25211928, Fax: 0612-2533314
E-mail: rd-bihar@esic.nic.in
Website: www.esic.gov.in / www.esic.in

प्रेस वज्ञप्ति

कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा आ श्रत हितलाभ का भुगतान

पटना, दिनांक : 04-02-2025

कर्मचारी राज्य बीमा निगम बिहार क्षेत्र के क्षेत्रीय निदेशक , सीए. निरंजन कुमार द्वारा सादे समारोह में मेसर्स दिपक कुमार सन्हा के अंतर्गत पंजीकृत बी मत व्यक्ति श्री मुन्ना चौधरी जो वद्युत आपूर्ति शाखा गर्दनीबाग पटना में बिजली मस्त्री के पद पर कार्यरत थे, उनकी आ श्रता पत्नी बेबी देवी एवं पुत्र गोलू कुमार,गौतम कुमार एवं मनीष कुमार को आ श्रत हितलाभ प्रदान कया गया और संवेदना व्यक्त की गयी ।

स्व. श्री मुन्ना चौधरी की मृत्यु कार्य के दौरान रोजगार चोट के कारण हुई थी | वे परिवार में अकेले कमाने वाले थे व परिवार पूर्णतः आ थर्क रूप से उन पर निर्भर था| नियोजक द्वारा दुर्घटना रिपोर्ट भेजे जाने के पश्चात इसकी जाँच की गयी तथा ई०एस०आई०सी० द्वारा आ श्रतों के लए मा सक पेंशन स्वीकृत कया गया, क्यों क उनकी मृत्यु कार्य के दौरान दुर्घटना में हुई थी|

उल्लेखनीय है क कार्यस्थल और निवासस्थान के मध्य आवागमन के कारण होने वाली दुर्घटना को ESI Act,1948 के तहत रोजगार चोट के रूप में स्वीकृत करने का प्रावधान है जिसके अंतर्गत बी मत कर्मचारी की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो जाने पर उनके आ श्रत परिवारजनों को ई० एस० आई० योजना के तहत वेतन का 90% तक मा सक आ श्रत पेंशन दिया जाता है ।

क्षेत्रीय निदेशक